



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 5343

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 19223 सन् 2025**

गुड्डू

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

---

|                         |    |                              |
|-------------------------|----|------------------------------|
| याचीकाकर्ता के अधिवक्ता | :- | दक्षा यादव, कुलदीप सिंह चाहर |
| प्रत्यर्थी के अधिवक्ता  | :- | जी.ए.                        |

---

**न्यायालय संख्या - 68**

**माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव**

विद्वान अधिवक्ता श्री दक्षा यादव को आवेदक की ओर से, राज्य-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक गुड्डू की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 112 सन् 2025, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20/29/60 के अंतर्गत, थाना - फरह, जनपद - मथुरा में, विचारण की लम्बित अवधि में जमानत पर रिहाई की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त को इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है, जिसमें आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के संयुक्त कब्जे से 140 किग्रा. 'गाँजा' नशीला पदार्थ बरामद होना बताया गया है। प्रकरण में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र में तीन प्रकरणों का आपराधिक इतिहास स्पष्ट किया गया है और आवेदक दिनांक 28.03.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। रिहाई की दशा में उसके न्याय की प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उक्त तथ्यों का खण्डन नहीं कर सके।

समस्त उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गम्भीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण को ध्यान में रखते हुए, किन्तु वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का प्रकरण बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक गुड्डू, जो उक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित है, को व्यक्तिगत मुचलके तथा दो विश्वसनीय जमानतदारों द्वारा समान राशि में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर मुचलका निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डराने-धमकाने का कार्य नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अवर न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

**आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)**

**8 जनवरी, 2026**

एमएन